समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)
आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 657/आ0प्र0, दिनांक– 18.02.2015 के आलोक में आपदा के दौरान राहत शिविरों में 500–500 व्यक्तियों के ठहरने के लिए टेन्ट का क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में निविदा के आधार पर जिला क्रय समिति द्वारा दिनांक– 29.06.2015 को लिये गये निर्णय के आलोक में फेमिली रिंज टेन्ट सिंगल फ्लाई विथ ऑल एसोसिरिज के लिए सबसे कम दर वाले निविदादाता मे0 वैक्सोटैक्स इन्टरप्राईजेज, इन्डरस्ट्रील एरिया, बरौनी, बेगूसराय एवं फेमिली रिंज टेन्ट डब्ल फ्लाई विथ ऑल एसोसिरिज के लिए निखिल वाटिका, बेगूसराय को निम्नांकित साईज, गुणवत्ता, संख्या एवं दर के अनुरूप सिंगल फ्लाई टेन्ट एवं डब्ल फ्लाई टेन्ट आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया जाता है।

क्र0	सामग्री का नाम	प्रकार (साईज)	मात्रा	दर
1	फेमिली रिज टेन्ट सिंगल फ्लाई विथ ऑल एसोसिरिज	4MX4MX2.15M	100 (एक सौ) पीस	7778.00 (प्रति एक टेन्ट की दर से सभी कर सहित)
2	फेमिली रिज टेन्ट डबल फ्लाई विथ ऑल एसोसिरिज	4MX4MX2.15M	50 (पचास) पीस	12800.00 (प्रति एक टेन्ट की दर से सभी कर सहित)

आपूर्तिकर्त्ता को दो दिनों के अंदर एकरारनामा करना होगा कि "आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप निर्धारित संख्या, साईज एवं दर के अनुसार टेन्ट की आपूर्ति निश्चित रूप से करेगें एवं जिला मुख्यालय तक पहुँचाऐगें" इसके लिए कोई परिवहन शुल्क या अन्य कोई चार्जेज अलग से देय नहीं होगा।

1. आपूर्तिकर्त्ता को टेन्ट की आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
2. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाकर्त्ताओं से स्थानीय बाजार के अनुमोदित दर पर आपूर्ति कर ली जा सकती है।
3. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नमूने के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्व कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. टेन्ट की आपूर्ति करने के पश्चात लेखा प्रदायी चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को टेन्ट की राशि का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में बिलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।

6. टेन्ट के साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा सही नहीं पाये जाने पर निविदादाता को सामग्री वापस ले जानां होगा एवं अपने खर्च पर पुनः सही सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए कोई परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

7. अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय की अध्यक्षता में एक निरीक्षण टीम गठित की जाती है । निरीक्षण टीम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेगूसराय सदस्य के रूप में नामित किये जाते हैं। निरीक्षण टीम का दायित्व होगा कि आपूर्ति किये गये टेन्ट की गुणवत्ता की जॉच कर गुणवत्ता प्रमाण पत्र देगें।

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

ज्ञापांक 718 /आ0प्र0, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपिः– मे0 वैक्सोटैक्स इन्टरप्राईजेज, इन्डरस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, बेगूसराय एवं निखिल वाटिका, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सूचना विज्ञान प्रोधोगिकी पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश को जिला पदाधिकारी के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार,पटना/ आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/8/15
जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

(5)